एफ. सं. 2(54)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)/एफटीएस-1455

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 22 अप्रैल, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: - एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) वेतनमान पर सीपीएसई के केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) प्रणाली के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2025 से महंगाई भत्ते का भुगतान।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 और अनुलग्नक-III जिसमें सीडीए वेतनमान प्रणाली को अपनाने वाले सीपीएसई के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते (डीए) की दरों को दर्शाया गया था, का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि कर्मचारियों को **दिनांक 01.01.2025** से देय महंगाई भत्ता मौजूदा दर **246%** से बढ़ाकर **252%** किया जाए।

2. महंगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

3. ये दरें उन सीडीए कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनके वेतन को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से संशोधित किया गया है।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि ऊपर बताई गई बातों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सीपीएसई के ध्यान में लाने के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करें।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)

उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार ।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

प्रफुल्ल

(डॉ. पी.के. सिन्हा)

उप-सचिव, भारत सरकार